[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 33/2018-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 01 जून, 2018

सा.का.नि. ..... (अ)- जहां कि बंगलादेश, ताइवान, कोरिया गणराज्य, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और थाईलैंड (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित और वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित "हाइड्रोजन पेरॉक्साइड" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2847 00 00 के अंतर्गत आता है, के आयात के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 14/03/2015-डीजीएडी, दिनांक 11 अप्रैल, 2017, जिसे दिनांक 11 अप्रैल, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।,खंड 1, में प्रकाशित किया गया था, में दिए गए अपने अंतिम निष्कर्षों के तहत उक्त विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 28/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 14 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 587 (अ), दिनांक 14 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है और उसको अधिसूचित भी किया है ।

और जहां कि विषयगत देशों में मूलत: उतपादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सेस्टेट) के आदेश संख्या 58470-58474/2017, दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 के अनुपालन में समीक्षा किए जाने के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 14/03/2015-डीजीएडी, दिनांक 17 अप्रैल, 2018, के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में गैर हानिकारक मूल्य का पुन:निर्धारण किया है और विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर संशोधित प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 28/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 14 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 587 (अ) दिनांक 14 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित सारणी और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

क्र. सं.	शीर्ष	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातकर्ता देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मुद्रा	इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	2847	हाइड्रोजन पेरॉक्साइड	बंगलादेश	बंगलादेश	मैसर्स समुदा केमिकल्स	समुदा केमिकल्स	46.90	अमेरिकी डालर	मी.टन
2.	2847	वही	बंगलादेश	बंगलादेश	तसनीम केमिकल्स	तसनीम केमिकल्स	27.81	अमेरिकी डालर	मी.टन
3.	2847	वही	बंगलादेश	बंगलादेश	एएसएम केमिकल्स	एएसएम केमिकल्स	46.29	अमेरिकी डालर	मी.टन
4.	2847	वही	बंगलादेश	बंगलादेश	उपर्युक्त क्रम संख्या 1, 2 और 3 में उल्लिखित से भिन्न अन्य कोई संयोजन		105.82	अमेरिकी डालर	मी.टन
5.	2847	वही	बंगलादेश	प्रतिपाटन शुल्क वाले देश से भिन्न अन्य कोई देश	कोई भी	कोई भी	105.82	अमेरिकी डालर	मी.टन
6.	2847	वही	प्रतिपाटन शुल्क वाले देश से भिन्न अन्य कोई देश	बंगलादेश	कोई भी	कोई भी	105.82	अमेरिकी डालर	मी.टन
7.	2847	वही	पाकिस्तान	पाकिस्तान	मैसर्स सितारा पेरॉक्साइड लि.	मैसर्स सितारा पेरॉक्साइड लि.	69.91	अमेरिकी डालर	मी.टन
8.	2847	वही	पाकिस्तान	पाकिस्तान	डेस्कॉन ऑक्सी केम लि.	डेस्कॉन ऑक्सी केम लि.	76.60	अमेरिकी डालर	मी.टन
9.	2847	वही	पाकिस्तान	पाकिस्तान	उपर्युक्त क्रम संख्या 7 और 8 में उल्लिखित से भिन्न अन्य कोई संयोजन		132.31	अमेरिकी डालर	मी.टन
10.	2847	वही	प्रतिपाटन शुल्क वाले देश से भिन्न अन्य कोई देश	पाकिस्तान	कोई भी	कोई भी	132.31	अमेरिकी डालर	मी.टन
11.	2847	वही	पाकिस्तान	प्रतिपाटन शुल्क वाले देश से भिन्न अन्य कोई देश	कोई भी	कोई भी	132.31	अमेरिकी डालर	मी.टन
12.	2847	वही	थाइलैंड	थाइलैंड	मैसर्स थाई पेरॉक्साइड	मैसर्स थाई पेरॉक्साइड	31.59	अमेरिकी डालर	मी.टन

					कं.लि.	कं.लि.			
13.	2847	वही	थाइलैंड	थाइलैंड	उपर्युक्त क्रम संख्या 12 में उल्लिखित से भिन्न अन्य कोई संयोजन		78	अमेरिकी डालर	मी.टन
14.	2847	वही	प्रतिपाटन शुल्क वाले देश से भिन्न अन्य कोई देश	थाइलैंड	कोई भी	कोई भी	78	अमेरिकी डालर	मी.टन
15.	2847	वही	थाइलैंड	प्रतिपाटन शुल्क वाले देश से भिन्न अन्य कोई देश	कोई भी	कोई भी	78	अमेरिकी डालर	मी.टन
16.	2847	वही	कोरिया	कोरिया	कोई भी	कोई भी	60.52	अमेरिकी डालर	मी.टन
17.	2847	वही	कोरिया	प्रतिपाटन शुल्क वाले देश से भिन्न अन्य कोई देश	कोई भी	कोई भी	60.52	अमेरिकी डालर	मी.टन
18.	2847	वही	प्रतिपाटन शुल्क वाले देश से भिन्न अन्य कोई देश	कोरिया	कोई भी	कोई भी	60.52	अमेरिकी डालर	मी.टन
19.	2847	वही	ताइवान	ताइवान	कोई भी	कोई भी	71	अमेरिकी डालर	मी.टन
20.	2847	वही	ताइवान	प्रतिपाटन शुल्क वाले देश से भिन्न अन्य कोई देश	कोई भी	कोई भी	71	अमेरिकी डालर	मी.टन
21.	2847	वही	प्रतिपाटन शुल्क वाले देश से भिन्न अन्य कोई देश	ताइवान	कोई भी	कोई भी	71	अमेरिकी डालर	मी.टन

[फाइल संख्या 354/232/2016-टीआरयू (पार्ट-I)]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 28/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 14 जून, 2017 को सा.का.नि. 587 (अ), दिनांक 14 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया है ।